कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 23 / 2024–25 / 690 दिनांकः 14 अगस्त, 2026

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) परीक्षा– 2025 (राजकीय नर्सिंग कॉलेजों हेतु)

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम (आंशिक संशोधन)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 23 / 2024–25 / 521, दिनांकः 14 जुलाई 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके क्रम में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) पद हेतु लिखित परीक्षा दिनांक **दिनांक 15 मार्च 2026 (रविवार)** प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह् 01.00 बजे तक आयोजित की गई थी। असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा अनुक्रमांकवार परीक्षा में प्राप्त अंको का विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 23 / 2024–25 / 396, दिनांक **15 मई, 2026** के माध्यम से प्रकाशित किया गया जिसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणी–उपश्रेणीवार रिक्त एक पद के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को दिनांक **17 जून 2026 (बुधवार)** को चयन बोर्ड कार्यालय में साक्षात्कार / अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया। असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) परीक्षा–2025 हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की गई तदोपरान्त अंतिम श्रेष्ठता सूची में उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षणों को लागू करते हुए असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों पर अन्तिम परीक्षा परिणाम चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 23 / 2024–25 / 622, दिनांक 29 जुलाई 2026 द्वारा घोषित किया गया। उक्त परीक्षा परिणाम में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 332 / 2025 (एस0बी0) मयंक कुमार जैमनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 13 अगस्त 2025 तथा रिट याचिका संख्या 349 / 2025 (एस0बी0) विजय मोहन्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य को दिनांक दिनांक 22 अगस्त 2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के विज्ञापित रिक्त 16 पदों में से दो पदों (अनारक्षित श्रेणी) को उक्त रिट याचिकाओं में अंतिम निर्णय पारित होने तक रिक्त रखा गया।

मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 332 / 2025 (एस0बी0) मयंक कुमार जैमनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 13 अगस्त 2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये थे–

In the above facts and circumstances, the writ petition is disposed of with the direction that two posts corresponding to the petitioner and one similarly situated person appointed in 2010, shall be kept vacant, pursuant to the impugned advertisement. However, liberty is given to the respondent to fill up the remaining advertised posts as per applicable Rules.

It is hoped and required that the High-Power Committee shall frame the Regularization Rules within a period of six months. The respondent/competent authority is further directed to consider the petitioner’s case for regularization after such rules are framed. Till the petitioner’s case is considered and a decision is taken thereon, the petitioner shall continue to work on his present post and shall be paid remuneration as per the existing terms.

उक्त पारित आदेशों के क्रम में याचिकाकर्ता श्री मयंक कुमार जैमीनी द्वारा दिनांक 04.09.2025 को शासन को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके निस्तारण आदेश संख्या– I / 406785 / XXVIII–6 / 43307 / 2026, दिनांक 19 जून 2026 में निम्नलिखित तथ्य अंकित किया गया है–

''मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 332/एस0एस0/2025 मयंक कुमार जैमिनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2025 के अनुपालन में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 25.04.2026 में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा) का विनियमितिकरण किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के आदेश संख्या– 1298/XXX(2)/ 2013–3(1)/2006, दिनांक 30.12.2013 द्वारा प्रख्यापित विनियमितीकरण नियमावली 2013 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या 138/XXX(2)/2025–E 69772/03(1)/2006 दिनांक 05.12.2025 के द्वारा प्रख्यापित संशोधित नियमावली, 2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विचार किया गया। निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री मयंक जैमिनी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (सविदा) संशोधित विनियमितीकरण नियमावली 2025 के अनुसार अपनी नियुक्ति तिथि (26.07.2010) से दिनांक 04.12.2018 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर रहे हैं। अतः विनियमितीकरण संशोधित नियमावली 2025 से आच्छाादित नहीं होने के कारण याची श्री मयंक जैमिनी पात्र नहीं पाये गये।

चूंकि संगत नियमानुसार श्री मयंक जैमिनी, असिस्टेन्ट प्रोफसर (संविदा) दिनांक 04.12.2018 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर रहे हैं अतः विनियमितीकरण हेतु प्रख्यापित नियमावली यथा संशोधित 2025 के आलोक में अर्हता/पात्रता पूर्ण नहीं किये जाने के कारण श्री मयंक जैमिनी असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा) के नियमितिकरण के प्रकरण पर विचार किये जाने का अवसर नहीं है। तद्नुसार मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समादार में श्री मयंक जैमिनी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा) कां विनियमित किये जाने का प्रकरण निस्तारित किया जाता है।''

चूंकि शासन द्वारा याचिकाकर्ता श्री मयंक कुमार जैमिनी का प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है, अतः याचिका संख्या 332/2025 (एस0बी0) मयंक कुमार जैमनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 13 अगस्त 2025 को पारित आदेशों के क्रम में सुरक्षित रखे गए पद पर अंतिम श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) में से चयनित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है:–

S. No.	Roll Number	Registration Number	Candidate's Name	Father's/Husband Name	Date of Birth	Category	Sub Category	NCC /TA	Select As
1	2520241042	2600100433	Ms. KM POONAM	DINESH CHANDRA PUROHIT	06/08/1993	UR	UKW		UR

उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के क्रम में अनारक्षित श्रेणी में कट–ऑफ अंक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

क्रमांक	श्रेणी–उपश्रेणी	संक्षिप्त रुप	कट–ऑफ अंक
1	अनारक्षित श्रेणी	UR	156.75

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 349/2025 (एस0बी0) विजय मोहन्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य को दिनांक दिनांक 22 अगस्त 2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के विज्ञापित रिक्त 16 पदों में से एक पद (अनारक्षित श्रेणी) को उक्त रिट याचिका में अंतिम निर्णय पारित होने तक रिक्त रखा गया है।

ह0/–
(प्रदीप जोशी)
सचिव,